पालना के दौरान रेस्पोंडेंट जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, सिरोही ने राजस्व वाद संख्या 50/2007 में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 01.01.2009 को चुनौती देते हुए एक अपील श्रीमान् न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसके अपील संख्या 03/2024 है। उक्त अपील में श्रीमान् न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी कर निर्णय व डिक्री दिनांक 01.01.2009 की पालना को आगामी पेशी तक स्थगित किया गया था। उक्त स्थगन आदेश जारी होने के कारण मातहत अदालत ने बिना किसी सुनवाई के उक्त ईजराय को फैसल शुमार कर दिया गया। उक्त प्रकरण में अपील प्रस्तुत होने तथा अपील में स्थगन आदेश जारी कर दिए जाने से ईजराय को फैसल शुमार नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में स्थगन आदेश जारी करने के कारण ईजराय प्रार्थनापत्र का खारिज किया गया किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं हैं। ईजराय की कार्यवाही को स्थगन होने से खारिज किया जाना गलत व विधि विरूद्ध होने से आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में अपील केवल मात्र जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से प्रस्तुत की गई है, ग्राम पंचायत वासन या अन्य की तरफ से कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे उनके विरूद्ध निर्णय की पालना में कोई रोक नहीं थीं, फिर भी उक्त ईजराय सम्पूर्ण को खारिज किया गया है, जो गलत है। प्रकरण में अंतरिम स्थगन आदेश जारी करने से ईजराय की कार्यवाही को कानुनन खारिज नहीं किया जा सकता है, जिससे आदेश विधि विरूद्ध तथा प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से अपास्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 50/2007 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.01.2009 की पालना हेतु एक इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20.03.2025 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसके अपील संख्या 03/2024 है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया। उक्त स्थगन आदेश पारित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत इजराय प्रार्थना पत्र को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिपोषणीय नहीं होने से दिनांक 20.03.2025 को खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा उक्त अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई हैं।

2. हमारे विनम्र अभिमत में प्रकरण से संबंधित मूल निर्णय व डिक्री दिनांक 01.01.2009 के विरूद्ध जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक, सिरोही द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की, जिसके अपील संख्या 03/2024 है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2026 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 01.01.2009 को अपास्त किया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में इजराय से संबंधित कोई कार्यवाही शेष ही नहीं रह सकती। अतः अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं हैं।

3. यह भी उल्लेखनीय है कि मूल वाद संख्या 50/2007 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.01.2009 में रेस्पोंडेंट संख्या 2, 3 व 4 बतौर पक्षकार संयोजित नहीं होने के बावजूद प्रार्थिया वादियागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत इजराय प्रार्थना पत्र में उन्हें बतौर प्रार्थी संयोजित किया गया है। जबकि उक्त के विरूद्ध कोई निर्णय व डिक्री प्रभावशील नहीं हैं। अतः अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत इजराय प्रार्थना पत्र पक्षकारान के कुसंयोजन से ग्रस्त होने से पोषणीय नहीं हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज/अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली